

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 257/2021

दयानन्द शर्मा, 5 क-28, शिवाजी पार्क, अलवर (राजस्थान) पिन कोड 301001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 15.12.2021

1. पुत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.11.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 257/2021 पर दिनांक 30.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3748-49 दिनांक 30.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ16(4)(5) न्याय/सू0अ0/21/2139 दिनांक 02.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दयानन्द शर्मा, 5 क-28, शिवाजी पार्क, अलवर (राजस्थान) पिन कोड 301001 का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 22.10.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/429 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 1254 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू पत्रांक एफ16(4)(5) न्याय/सू0अ0/21/2139 दिनांक 02.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन

A

किया कि अपीलार्थी दयानन्द शर्मा, 5 क-28, शिवाजी पार्क, अलवर (राजस्थान)
पिन कोड 301001 का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 22.10.2021 को
प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के
पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/429 दिनांक 25.10.2021 के
द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना
उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग
कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 1254 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी
को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र
स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय
राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं